भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3359

उत्तर देने की तारीख- 20/03/2025

महाराष्ट्र में जनजातीय अनुसंधान संस्थान

3359. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 2014 से केंद्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)' के अंतर्गत वर्षवार कुल कितनी निधि धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) देशभर में, विशेषकर महाराष्ट्र के लिए, जनजातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यकलापों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत दस वर्षों के दौरान नागपुर सहित महाराष्ट्र में अवसंरचना, अनुसंधान, प्रलेखन कार्यकलापों, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों, जनजातीय उत्सवों के आयोजन, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिलावार कुल कितनी निधि आबंटित की गई और आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय अनुसंधान संस्थान पुणे, महाराष्ट्र सहित 29 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण गतिविधियों और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, जनजातीय त्योहारों और यात्राओं का आयोजन करने और पर्यटन को बढ़ावा देने तथा जनजातियों द्वारा आदान-प्रदान यात्राओं का आयोजन करने में भी सहायता देने, जनजातीय संस्कृति, प्रथाओं, भाषाओं और अनुष्ठानों को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो केंद्र प्रायोजित योजना "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता" के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। योजना के अंतर्गत जनजातीय अनुसंधान संस्थान पुणे, महाराष्ट्र को स्वीकृत कुल निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): "जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता" योजना के अंतर्गत, देश भर में जनजातियों की सामाजिक-सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण मंत्रालय की वेबसाइट यूआरएल अर्थात https://tribal.nic.in/Display_Apex_Minutes.aspx पर उपलब्ध है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत सरकार ने 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ईएमआरएस के निर्माण के लिए 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी और इसमें कक्षा VI से XII तक पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की समान संख्या सहित 480 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होगी। आज तक 721 स्कूलों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से देश भर में 477 ईएमआरएस कार्यरत हैं। स्वीकृत विद्यालयों का राज्य-वार सारांश तथा उनकी कार्यात्मक स्थिति अनुलग्नक **II**(क) तथा **II**(ख) में दी गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) ईएमआरएस योजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन करती है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय लोगों के सबसे कमजोर वर्गों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण के उद्देश्य से "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास" योजना क्रियान्वित (लागू) की है। जनजातीय उप-योजना निधि से राज्यों द्वारा किए गए उपायों के अलावा, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, आवास, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, संपर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की स्थापना, संस्कृति और पारंपरिक पद्धतियों (प्रथाओं) का संरक्षण या इन पहचाने गए 75 पीवीटीजी समुदायों के संबंध में अंतरों को भरने की प्रकृति के उपाय के रूप में कोई अन्य अभिनव गतिविधि में उनके प्रस्तावों के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। 2014-15 से 2023-24 तक जारी की गई निधियों की सूची अनुलग्नक **III** में संलग्न है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जाता है। अभियान के तहत मंत्रालय-वार और राज्य-वार वित्तीय प्रगति का विवरण अनुलग्नक-**IV** में दिया गया है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत अनुदान के तहत उनके प्रस्तावों के आधार पर महाराष्ट्र सहित अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों वाली राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह भारत सरकार की ओर से 100% अनुदान है। इस कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण का उद्देश्य राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य द्वारा शुरू की जाने वाली विकास योजनाओं की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाना है। सरकार ने देश भर में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे (i) शिक्षा (ii) स्वास्थ्य (iii) कृषि, बागवानी, पशुपालन (एएच), मत्स्य पालन, डेयरी और प्राथमिक क्षेत्र में अन्य (iv) जनजातीय घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजन योजनाएं और (v) प्रशासनिक संरचना / संस्थागत ढांचा और अनुसंधान अध्ययन शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान सभी राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-**V** पर है।

(ग): जैसा कि सूचित किया गया है, महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे, अनुसंधान, दस्तावेजीकरण गतिविधियों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जनजातीय त्योहारों के आयोजन, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवंटित कुल निधियों और आयोजित कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक **VI** में दिया गया है।

अनुलग्नक - I

दिनांक 20.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3359 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

<u>महाराष्ट्र में 2014 से केंद्र प्रायोजित योजना "जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता" के अंतर्गत स्वीकृत कुल निधियों का विवरण</u>

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)
2014-15	58.10
2015-16	0.00
2016-17	0.00
2017-18	0.00
2018-19	485.01
2019-20	300.00
2020-21	464.12
2021-22	100.00
2022-23	50.00
2023-24	130.00
2024-25	190.00

अनुलग्नक-**II**

दिनांक 20.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3359 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

अनुलग्नक-**II**(क)

देश भर में स्वीकृत और कार्यात्मक ईएमआरएस की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत ईएमआरएस	कार्यात्मक ईएमआरएस
1	आंध्र प्रदेश	28	28
2	अरुणाचल प्रदेश	10	5
3	असम	17	1
4	बिहार	3	2
5	छत्तीसगढ़	75	75
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1	1
7	गुजरात	47	38
8	हिमाचल प्रदेश	4	4
9	जम्मू एवं कश्मीर	6	6
10	झारखंड	90	51
11	कर्नाटक	12	12
12	केरल	4	4
13	लद्दाख	3	0
14	मध्य प्रदेश	71	63
15	महाराष्ट्र	39	37
16	मणिपुर	21	3
17	मेघालय	37	0
18	मिजोरम	17	11
19	नागालैंड	22	3
20	ओडिशा	111	47
21	राजस्थान	31	30
22	सिक्किम	4	4
23	तमिलनाडु	8	8
24	तेलंगाना	23	23
25	त्रिपुरा	21	6
26	उत्तर प्रदेश	4	3
27	उत्तराखंड	4	4
28	पश्चिम बंगाल	8	8
	कुल	721	477

अनुलग्नक-II(ख)

महाराष्ट्र राज्य में ईएमआरएस की स्थिति

क्र.सं.	ज़िला	ब्लॉक/ तालुका	स्कूल का नाम	कार्यात्मक स्थिति
1	अहमदनगर	अकोले	ईएमआरएस मावेशी	कार्यात्मक
2	अमरावती	चिखलदारा	ईएमआरएस चिखलदरा	कार्यात्मक
3	अमरावती	धरनी	ईएमआरएस धरनी	कार्यात्मक
4	चंद्रपुर	राजुरा	ईएमआरएस देवदा	कार्यात्मक
5	धुले	सकरी	ईएमआरएस भदाणे	कार्यात्मक
6	धुले	एगी	ईएमआरएस पिंपलनेर	कार्यात्मक
7	गडचिरोली	अहेरी	ईएमआरएस अहेरी	कार्यात्मक
8	गडचिरोली	भामरागड	ईएमआरएस भामरागड	कार्यात्मक
9	गडचिरोली	चामोर्शी	ईएमआरएस चामोर्शी	कार्यात्मक
10	गडचिरोली	धनोरा	ईएमआरएस धनोरा (एमएच)	कार्यात्मक
11	गडचिरोली	एटापल्ली	ईएमआरएस एटापल्ली	कार्यात्मक
12	गडचिरोली	कोरची	ईएमआरएस कोरची	कार्यात्मक
13	गडचिरोली	कुरखेडा	ईएमआरएस गेवर्धा	कार्यात्मक
14	गोंदिया	देवरी	ईएमआरएस बोरगांव	कार्यात्मक
15	नागपुर	रामटेक	ईएमआरएस खैरी परसोदा	कार्यात्मक
16	नांदेड़	किनवट	ईएमआरएस शहस्त्रकुंड	कार्यात्मक
17	नंदुरबार	अक्कलकुवा	ईएमआरएस अक्कलकुवा	कार्यात्मक
18	नंदुरबार	अक्रानी	ईएमआरएस धडगांव	कार्यात्मक
19	नंदुरबार	नंदुरबार	ईएमआरएस नंदुरबार	कार्यात्मक
20	नंदुरबार	नवापुर	ईएमआरएस डोंगसांगली	कार्यात्मक
21	नंदुरबार	शहादे	ईएमआरएस शहादे	कार्यात्मक
22	नंदुरबार	तालोद	ईएमआरएस तलोदे	कार्यात्मक
23	नासिक	बगलान	ईएमआरएस अजमेर सौदान	कार्यात्मक
24	नासिक	डिंडोरी (महाराष्ट्र)	ईएमआरएस टिटावे	कार्यात्मक
25	नासिक	इगतपुरी	ईएमआरएस पिम्प्रिसाड्रोडिन	कार्यात्मक
26	नासिक	कालवान	ईएमआरएस चनकापुर	कार्यात्मक
27	नासिक	नासिक	ईएमआरएस पेठ रोड	कार्यात्मक
28	नासिक	पेंट	ईएमआरएस देवगांव	कार्यात्मक
29	नासिक	सुरगना	ईएमआरएस शिंदे दीगर	कार्यात्मक
30	नासिक	त्र्यंबकेश्वर	ईएमआरएस नासिक (बोरीपाड़ा)	कार्यात्मक
31	पालघर	दहानु	ईएमआरएस दहानु	कार्यात्मक
32	पालघर	जवाहर	ईएमआरएस जवाहर	कार्यात्मक
33	पालघर	मोखाडा	ईएमआरएस करेगांव	कार्यात्मक
34	पालघर	पालघर	ईएमआरएस कंबलगांव	कार्यात्मक
35	पालघर	तलासरी	ईएमआरएस सवाने	कार्यात्मक
36	पालघर	वड़ा	ईएमआरएस वडा	गैर-कार्यात्मक
37	पालघर	विक्रमगढ़	ईएमआरएस विक्रमगढ़	गैर-कार्यात्मक
38	थाने	शाहपुर	ईएमआरएस शेंडेगांव	कार्यात्मक
39	यवतमाल	मारेगांव	ईएमआरएस बोटोनी	कार्यात्मक

अनुलग्नक-III

दिनांक 20.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3359 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पीवीटीजी के विकास की योजना के संबंध में जारी निधियों और लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण, राज्य-वार एवं वर्ष-वार (20.02.2025 तक)											
		(लाख रूपये में)									
क्र.सं.	राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि
1	आंध्र प्रदेश	2000.00	3240.00	5105.00	2076.00	1837.00	3713.43	1245.51	1829.60	1645.50	0.00
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	252.11	0.00	0.00
3	बिहार	0.00	0.00	342.86	295.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	2223.75	1809.63	1230.00	1089.50	1051.50	1311.35	989.32	996.90	1500.00	0.00
5	गुजरात	1091.00	898.10	779.12	390.67	604.00	429.05	552.20	761.80	1731.20	0.00
6	झारखंड	301.326	1627.379	3120.00	2047.03	3295.79	847.00	1777.29	1696.93	0.00	0.00
7	कर्नाटक	8.584	836.303	136.00	467.00	460.00	1933.01	438.46	661.17	1439.42	0.00
8	केरल	600.00	0.00	100.00	62.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	4272.94	4491.92	10460.40	8232.46	7998.09	8064.89	2188.11	2888.69	0.00	0.00
10	महाराष्ट्र	1900.00	0.00	2077.00	1226.25	1230.26	2510.00	1411.66	0.00	0.00	0.00
11	मणिपुर	47.50	100.00	329.00	195.00	1157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ओडिशा	2500.00	3373.92	1164.00	1297.00	3626.00	976.38	1202.00	1197.00	1796.75	0.00
13	राजस्थान	1500.00	1076.09	1331.00	1038.00	1008.00	968.10	968.00	706.17	1120.63	0.00
14	तमिलनाडु	128.349	1118.893	3055.00	1770.75	0.00	819.48	551.08	1967.81	907.70	0.00
15	तेलंगाना	600.00	1439.035	1139.00	778.00	533.00	538.50	1460.50	1193.04	1508.13	0.00
16	त्रिपुरा	826.54	895.56	2250.00	2305.00	789.53	1960.82	231.43	1481.71	1402.65	0.00
17	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	82.04	0.00	0.00	0.00
18	उत्तराखंड	0.00	0.00	292.48	130.00	565.86	489.53	295.00	367.07	0.00	0.00
19	पश्चिम बंगाल	0.00	447.60	895.00	330.75	843.42	437.47	519.40	0.00	665.95	0.00

दिनांक 20.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3359 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

	अभियान के अंतर्गत मंत्रालय-वार एवं राज्य-वार वित्तीय प्रगति का विवरण										
क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)	शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)	विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)	नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	संचार मंत्रालय (डीओटी-यूएसओएफ)	जनजातीय कार्य मंत्रालय एमपीसी	जनजातीय कार्य मंत्रालय वीडीवीके
		वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	सांकेतिक वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	44.33	280.53	40.31	43.44	18.85	88.71	8.38	94.5	19.97	3.105
2	छत्तीसगढ़	200.63	1698.92	19.65	32.28	68.3	38.17	6.42	21.6	8.52	1.1976
3	गुजरात	94.46	1.24	5.76	8.04	13.75	0	0	12.6	6.03	0.525
4	झारखंड	54.54	113.86	7.45	13.32	27.5	74.13	11.71	4.5	2.12	1.438
5	कर्नाटक	6.24	55.62	1.69	2.88	2.3	3.77	0.9	9	13.59	0.892
6	केरल	1.36	0.00	7.45	0.84	10.1	0.86	0	6.3	2.29	0.2166
7	मध्य प्रदेश	1575.11	836.21	25.07	111.24	117.3	143.39	10.3	18.9	25.99	2.5755
8	महाराष्ट्र	100.54	0.00	26.42	26.4	35.75	26.61	0	8.1	17.47	1.812
9	ओडिशा	263.72	149.75	16.94	14.64	82.5	0	0	13.5	24.64	1.7765
10	राजस्थान	167.68	68.86	2.03	10.8	9.2	40.34	0	0.9	6.76	4.3296
11	तमिलनाडु	31.14	0.00	35.57	5.04	14.91	29.89	0	0.9	20.44	1.2015
12	तेलंगाना	0	66.85	4.74	10.2	19.75	6.79	1.63	4.5	16.16	0.7305

13	त्रिपुरा	153.97	114.32	2.03	20.04	37.6	61.52	8.52	9	12.07	1.27
14	उत्तर प्रदेश	2.04	0.00	0.68	0.12	5.5	1.1	0	0	0.83	0.1595
15	उत्तराखंड	26.38	0.00	8.13	0.96	7.35	0.6	0	0	5.40	0.157
16	पश्चिम बंगाल	0	0.00	4.74	0	0	0	0	0	0.00	0
17	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.028
18	मणिपुर	0	0.00	0	5.04	5.5	0	0	0	0.00	0
19	बिहार	0	0.00	0	5.88	0	0.28	0	0	0.00	0

दिनांक 20.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3359 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जारी की गई निधि को दर्शाने वाला विवरण (17.03.2025 तक)											
(लाख रुपये में)											
क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	2139.00	5500.00	2869.43	4591.11	6390.77	8942.43	2055.55	2638.65	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1880.40	3000.80	6580.53	8378.82	12170.52	13202.25	6014.00	9830.00	7265.30	6740.00
3	असम	0.00	0.00	844.12	0.00	3916.32	10802.85	4592.37	2570.000	2300.00	3294.12
4	बिहार	0.00	0.00	1467.58	991.89	0.00	0.00	0.00	642.08	1001.01	871.24
5	छत्तीसगढ़	10778.00	11904.31	10488.52	10964.49	11352.92	22500.77	9976.24	11604.02	13578.43	15676.77
6	गोवा	0.00	400.00	450.00	103.00	345.66	0.00	0.00	600.41	667.79	150.00
7	गुजरात	8592.45	11680.00	9739.02	11384.08	11648.20	16833.88	5940.04	6923.79	7549.12	4584.77
8	हिमाचल प्रदेश	190.99	523.20	1595.87	2074.70	3378.16	5314.70	1161.00	1500.00	1655.00	1696.45
9	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	2000.00	3539.66	3049.06	2051.79	5410.00	As it becomes UT, funds were not released to J&K			
10	झारखंड	9873.00	12202.96	9489.38	12386.93	7354.30	11166.77	10278.00	12264.19	6677.87	14299.82
11	कर्नाटक	4880.40	6300.00	4664.00	5881.74	5220.61	10435.46	3305.68	3210.00	4297.57	4070.00
12	केरल	748.94	1085.44	695.58	803.17	472.28	633.29	0.00	0.00	817.67	1910.44
13	मध्य प्रदेश	17321.42	14845.15	14971.43	22399.48	24635.30	44938.92	4279.78	5319.10	8438.75	15741.70
14	महाराष्ट्र	11701.29	13374.00	11536.53	13862.24	17015.91	23136.70	4573.16	0.00	0.00	0.00
15	मणिपुर	1600.01	1216.00	1694.40	2308.80	5367.645	6151.91	0.00	0.00	1067.36	2456.35
16	मेघालय	2334.03	1507.68	1576.21	3603.40	5129.79	4799.53	492.71	1595.25	2904.84	3127.29
17	मिजोरम	1877.78	3617.37	1927.49	2504.41	3507.71	6598.83	1909.71	2971.54	1654.05	2897.97
18	नागालैंड	2067.15	5469.34	6368.00	4434.11	9194.485	6802.11	1717.38	3202.39	5863.47	5020.11
19	ओडिशा	12728.22	15200.00	11954.96	15995.30	21449.15	15110.66	6304.62	11382.05	10150.55	6870.56
20	राजस्थान	9755.92	11000.00	10341.39	10240.58	13769.23	15586.19	9166.00	10435.21	11002.53	8940.07

21	सिक्किम	370.30	1250.30	1147.00	405.30	355.34	3175.35	516.00	2045.00	720.38	1754.38
22	तमिलनाडु	639.60	852.80	798.24	378.00	773.57	6356.07	0.00	0.00	0.00	650.49
23	तेलंगाना	3894.40	6090.00	3608.05	5015.32	3248.89	9973.28	2517.00	2050.00	3114.46	5169.00
24	त्रिपुरा	1218.99	1600.68	1280.99	2040.89	2006.73	2952.63	201.74	607.53	1294.71	4226.39
25	उत्तर प्रदेश	743.49	1514.74	1138.62	189.00	252.43	2760.71	927.426	832.71	1135.82	1353.63
26	उत्तराखंड	1530.36	92.02	0.00	1577.56	1255.265	428.37	0.00	100.65	306.02	964.05
27	पश्चिम बंगाल	5747.00	7000.00	5814.37	5376.51	9235.725	12127.17	4041.14	0.00	4186.50	4744.40

अनुलग्नक **VI**

दिनांक 20.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3359 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

1. बुनियादी ढांचा

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित राशि (लाख रुपए में)
1	2018-19	टीआरआई को सहायता	टीआरटीआई परिसर में डोम का निर्माण	98.53
2	2014-15 से 2015-16	अनुच्छेद 275 (1)	नागपुर के सुरबर्दी में गोंडवाना संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण	2100.00
3	2019-20	अनुच्छेद 275 (1)	जनजातीय प्रशिक्षण संस्थान	1500.00

2. अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण गतिविधियाँ

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित राशि (लाख रुपए में)
1	2014-15	अनुच्छेद 275 (1)	45 जनजाति नृवंशविज्ञान अनुसंधान अध्ययन (पुणे विश्वविद्यालय)	275.00
2	2014-15	टीएसएस को एससीए	आश्रम विद्यालय एवं छात्रावासों में सिकल सेल एनीमिया की स्थिति का सर्वेक्षण कराना।	100.00
3	2018-19	संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी)	महाराष्ट्र नृविज्ञान संघ (अविवाहित माँ)	25.00
4	2019-20	संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी)	नृविज्ञान विभाग वर्धा - पीवीटीजी की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य स्थिति	15.00
5	2019-20	संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी)	मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी - पीवीटीजी समूहों के बीच जनसंख्या में गिरावट को नियंत्रित करें	29.98
6	2018-19	टीआरआई को सहायता	समुदायों के बीच पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और उपचार प्रथाओं पर अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण	70.00

3. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित राशि (लाख रुपए में)
1	2018-19	अनुच्छेद 275 (1)	शिक्षण संसाधन केंद्र के साथ अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण / ब्रिटिश कांउसिल	250.00
2	2019-20	अनुच्छेद 275 (1)	शिक्षण संसाधन केंद्र के साथ अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण / ब्रिटिश कांउसिल	250.00

4. जनजातीय उत्सवों का आयोजन

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	विवरण	अनुमोदित राशि (लाख रुपए में)
1	2018-19	टीआरआई को सहायता	पीओ वार जनजातीय नृत्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन	134.00
2	2024-25	टीआरआई को सहायता	महाराष्ट्र राज्य के महानगरों में राज्य स्तरीय आदिवासी जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम और जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करें।	50.00

5. अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	विवरण	अनुमोदित राशि (लाख रुपए में)
1	2018-19	टीआरआई को सहायता	टीआरटीआई, पुणे में वर्चुअल संग्रहालय	80.40
2	2018-19	टीआरआई को सहायता	पुणे हवाई अड्डे पर जनजातीय कला गैलरी	17.08
3	2019-20	टीआरआई को सहायता	नागपुर (चिखली) में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उप-केन्द्र की स्थापना	300.00

*****